

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-07/2024-25

—: आदेश :-

वी 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
31/07/2024	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) राजू मांझी पिता-स्व0 चडकु मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-सरदाहा, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-जयतारा, थाना नं0-130, खाता नं0-105, प्लॉट नं0-1615, रकबा-10.75 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 242/भू0सु0, दिनांक 22.06.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1525 दिनांक 02.07.2024 एवं पत्रांक 1721 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान राम मांझी के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है। विक्रेता खतियानी रैयत का संबंध पितामह है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध स्वयं है। 4. विक्रेता-ग्राम-सरदाहा, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो एवं क्रेता-ग्राम-सरदाहा, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। दोनों एक ही थाना क्षेत्र अन्तर्गत आते हैं। 6. विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। 7. विक्रेता संथाल जाति के हैं एवं क्रेता संथाल जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 1.50 एकड़ जमीन अवशेष बचता है 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 10.75 डी0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को केवाला द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 105 पर राजू मांझी के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-47, पृष्ठ सं0-49 में अंकित है, जिसका लगान रसीद 2024-25 तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरम गोड़ा तीन है। 18. आवेदक को मौजा-जयतारा, थाना नं0-130 के अन्तर्गत खाता नं0-105, प्लॉट नं0-1615, रकबा-10.75 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHRC/2022/493916 दिनांक- 29.11.2022 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHRC/2016/223160 दिनांक 27.05.2016 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) राजू मांझी पिता-स्व० चडकु मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-सरदाहा, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-जयतारा, थाना नं०-130, खाता नं०-105, प्लॉट नं०-1615, रकबा-10.75 डी० भूमि (क्रेता) सुषमा देवी पति-भोला मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-सरदाहा, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	